<u>न्यायालय-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>तहसील बैहर जिला-बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कमांक—846 / 2015</u> <u>संस्थित दिनांक—07.09.2015</u> <u>फाईलिंग क.234503009742015</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र–बैह	To the second se
मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षा कन्द्र—बह	5 ⁴ ,
जिला–बालाघाट (म.प्र.) 🚺 📈	<i>– – – –</i> <u>अभियोजन</u>
🧥 🔗 / / विष	<u>लद</u> //
कपिल पिता मंजु उर्फ सुरेश, उम्र–25	
कापल ।पता मजु उफ सुरश, उम्र—25	साल, जात सुनार,
निवासी वार्ड नंबर—14 सियार पाठ बैह	इर थाना बैहर
जिला बालाघाट (म.प्र.)	<u>अभियुक्त</u>
- A	
<u>/ </u>	<u> गिय</u> //

// <u>निणय</u> // <u>(आज दिनांक—22/04/2017 को घोषित)</u>

- 1— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324, 506 भाग—2 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक 28.08.2015 को 11:40 बजे थाना बैहर अंतर्गत मोहसीन चाय दुकान मेन रोड शासकीय अस्पताल बैहर के सामने लोकस्थान पर फरियादी दानिश को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित कर, दांतो को खतरनाक साधन के रूप में उपयोग करते हुए आहत दानिश को धारदार दांतों से गाल में काटकर स्वेच्छया उपहित कारित कर, फरियादी को संत्रास करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2— प्रकरण में अभियुक्त राजीनामा के आधार पर आदेश दिनांक 14.12.2016 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 506 भाग—2 के आरोप से दोषमुक्त हुआ है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 राजीनामा योग्य नहीं होने से इस धारा में अभियुक्त पर प्रकरण का विचारण पूर्वतः जारी रखा गया था।
- 3— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी दानिश ने थाना बैहर में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि दिनांक 28.08.2015 को 11:40 बजे वह शासकीय अस्पताल बैहर के सामने मोहसिन चाय दुकान पर खड़ा था, तभी

उसके मोहल्ले का कपिल सोनी आथा था और दुकान से लिये गये सामान की उधारी के पैसे क्यों नहीं देता कहकर मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ एवं जान से मारने की धमकी देकर हाथ—मुक्कों से मारपीट करने लगा था तथा फरियादी को दांत से दाहिने गाल पर काट लिया था तथा झुमा—छिना झपटी के समय दुकान में बन रही चाय उसकी छाती पर दाहिने हाथ पर गिर गई थी। फरियादी को बहुत जलन हुई थी। घटना राजेन्द्र एवं मोहसीन ने देखी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना बैहर ने मेडिकल परीक्षण कराकर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक 131/15 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

- 4— अभियुक्त पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा 01 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।
- 5— अभियुक्त का धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

6— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक—28.08.2015 को 11:40 बजे थाना बैहर अंतर्गत मोहसीन चाय दुकान मेन रोड शासकीय अस्पताल बैहर के सामने फरियादी दानिश को दांतो को खतरनाक साधन के रूप में उपयोग करते हुए आहत दानिश को धारदार दांतों से गाल में काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की थी ?

विचारणीय प्रश्न कमांक 01 का निष्कर्ष :-

7— दानिश खान अ.सा.1 का कथन है कि वह अभियुक्त को जानता है। घटना दिनांक को उसका अभियुक्त से विवाद हो गया था इसके अतिरिक्त कोई घटना नहीं हुई थी। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने सुझाव में यह अस्वीकार किया है कि उसने प्र.पी.01 की रिपोर्ट में अभियुक्त द्वारा दांत से दाहिने गाल पर काटने वाली बात लिखाई थी। इस साक्षी की साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे

अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन होता हो।

एन.एस. कुमरे अ.सा.०२ का कथन है कि वह दिनांक 28.08.2015 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को थाना बैहर से आरक्षक सालिकराम क्रमांक 415 आहत दानिश को मेडिकल परीक्षण के लिये लेकर आया था। आहत दानिश का चिकित्सक ने मेडिकल परीक्षण किया था, जिसमें आहत को निम्नलिखित उपहति पाई थी। चोट कमांक-01 खरोंच जो कि मल्टिपल थे जो एक चौथाई गुणा एक चौथाई लिये हुये थे, जो कि अर्ध चन्द्राकार आकार में थे, जिसके मध्य में थोड़ा गेप था। उक्त चोट दाहिने चेहरे पर होना पाई थी। चोट कमांक-02 जलने के निशान फफोले सहित होना पाई थी, जो कि छिद्रे हुये थे। उक्त जलने के निशान दाहिने सीने में एवं भुजा पर होना पाया था। चिकित्सक के अभिमत में चोट क्रमांक 01 मनुष्य द्वारा काटने से आ सकती थी। चोट क्रमांक 02 गरम पदार्थ से आ सकती थी। उक्त चोटें मेडिकल परीक्षण के समय 06 घंटे की होकर साधारण प्रकृति की थी। चिकित्सक द्वारा दी गई रिपोर्ट प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में चिकित्सक ने यह स्वीकार किया है कि आहत की दोनों चोटें गंभीर प्रकृति की नहीं थी। चिकित्सक के द्वारा बताई गई चोट के अतिरिक्त आहत को अन्य किसी चोट के निशान नहीं थे।

9— योगेन्द्र सिंह सहायक उपनिरीक्षक अ.सा.03 का कथन है कि उसने दिनांक 28.08.2015 को फरियादी दानिश की सूचना पर से अभियुक्त कपिल सोनी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेखबद्ध की थी। फरियादी दानिश को मेडिकल परीक्षण के लिये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैहर भिजवाया था, मेडिकल फार्म प्र.पी.03 है। अनुसंधान के समय साक्षी ने फरियादी के बतायेनुसार घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.04 तैयार किया था। उक्त दिनांक को ही आहत दानिश, मोहसिन, राजेन्द्र के कथन उनके बतायेनुसार लेखबद्ध किये थे। उक्त दिनांक को ही इस साक्षी ने अभियुक्त कपित सोनी को अभिरक्षा में लेकर गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.05 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। इस साक्षी ने उसके अनुसंधान की पुष्टि की है।

10— प्रकरण में फरियादी दानिश ने उसकी साक्ष्य में स्वयं किसी प्रकार की उपहति आना नहीं बताया है। अभियोजन पक्ष ने प्रकरण के किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की साक्ष्य नहीं कराई है, इस कारण चिकित्सक की साक्ष्य एवं चिकित्सक द्वारा दी गई मेडिकल रिपोर्ट प्र.पी.03 से फरियादी दानिश की उपहित का समर्थन नहीं होता है। दानिश ने उसकी साक्ष्य में स्वीकार किया है कि उसका अभियुक्त से राजीनामा हो गया है। संभवतः राजीनामा होने के कारण फरियादी दानिश ने उसकी साक्ष्य में प्रकरण की घटना का समर्थन नहीं किया है। राजीनामा होने के कारण अभियोजन पक्ष ने प्रकरण में अन्य किसी साक्षीगण की साक्ष्य नहीं कराई है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण में परीक्षित कराए गए साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर दांतों को खतरनाक साधन के रूप में उपयोग करते हुए आहत दानिश को धारदार दांतों से गाल में काटकर स्वेच्छया उपहित कारित की थी। अतः अभियुक्त कपिल सोनी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11— प्रकरण में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

12— प्रकरण में अभियुक्त की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा—437(क) के पालन में आज दिनांक से 06 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेगें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(दिलीप सिंह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील बैहर जिला–बालाघाट

(दिलीप सिंह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील बैहर जिला–बालाघाट